

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1031

दिनांक : 27.01.2026

आदेश

सां.आ.152/2026 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जायें। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 465 दिनांक 27.10.1994 एवं 243 दिनांक 12.01.1995 को अधिक्रमित करते हुए उक्त नियम के अनुसरण में निर्दिष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 4, 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पंच, सरपंच एवं पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र को, उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर हिन्दी में "पं.रा.सं." अंकित किया हुआ होगा, से स्टाम्पित कर, मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा;

और यतः उपरोक्त नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है कि मतों की गणना के समय यदि ऐसे मतपत्र पाये जावें जो कि पैरा 01 में निर्दिष्ट है, के अनुसार अनुप्रमाणित नहीं किये हुए हो तो ऐसी कठिनाई से निवारण हेतु रिटर्निंग अधिकारी ऐसे संदिग्ध मतपत्रों का किस प्रकार विनिश्चय करें;

अतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91-क द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि मतों की गणना में जो मतपत्र पैरा 1 में निर्दिष्ट रीति से यानी उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर से वर्गाकार आयतन के अन्दर "पं.रा.सं." से स्टाम्पित न किये हुए हों और जिन पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हो तो उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जावेगा, परन्तु यदि रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि यह चूक मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या विफल रहने के कारण हुई है तो ऐसे मतपत्रों को नामंजूर नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

27/1/26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1032-1038

दिनांक 27.01.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर), को इस आदेश की जानकारी पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचन के लिये नियुक्त किये जाने वाले रिटर्निंग अधिकारियों और मतदान दलों को उनके प्रशिक्षण के समय कराई जावें और उनको जो मार्गनिर्देशिका की पुस्तक दी जावें उसमें इस आदेश की साइक्लोस्टाइल की प्रति नत्थी की जावे।

5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मारफत जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत), (कलक्टर)।
7. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव